ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश

मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर–शुभम अग्रवाल (धामनघुटकुरी और मिलाराबाद साधारण पत्थर माइनिंग) के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (गौण खनिज)

कुल खान क्षेत्र 8.08 हेक्टेयर

पर

गांव – धामनघुटकुरी एवं मिलाराबाद, तहसील– बसना,
जिला–महासमुन्द, राज्य– छत्तीसगढ़

क्र.	आवेदक	टीओआर की संख्या और तारीख	भुमि खसरा	आवेदित पट्टे का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वार्षिक उत्पादन क्षमता (टन)में	आवेदित भूमि का पता	क्लस्टर क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	TO24B0108CG5933964N, Dated 28/09/2024	343 (भाग)	1.20	37,744	गांव–धामनघुटकुरी तहसील–बसना, जिला–महासमुन्द, छत्तीसगढ	8.08
2	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	TO24B0108CG5169854N, Dated 28/09/2024	343 (भाग)	1.44	16,517		
3	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	TO24B0108CG5974272N, Dated 11/09/2024	389 (भाग)	2.58	70,883	गांव– मिलाराबाद तहसील–बसना, जिला–महासमुन्द, छत्तीसगढ	
4	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	TO24B0108CG5243903N, Dated 11/09/2024	389 (भाग)	2.86	75,636		

पर्यावरण सलाहकार

मेसर्स अल्ट्रा टेक

पर्यावरण प्रयोगशाला और परामर्श

एनएबीईटी मान्यता प्राप्त ईआईए परामर्श संगठन

NABET प्रत्यायन संख्या– NABET/EIA/2023/RA0194-Rev 01

जनवरी 03, 2025

विषयसूची

कार्यकारी सारांश.....4

1.0 परिचय.....4

1.1.1 परियोजना स्थल.....4

1.2 पर्यावरण का विवरण.....9

1.2.1 पानी की आवश्यकता 10

1.2.2 पावर की आवश्यकता 11

1.2.3 जनशक्ति की आवश्यकता 11

1.3 पर्यावरण का विवरण.....11

1.3.1अंतरिक्ष–विज्ञान.....12

1.3.2 वायु पर्यावरण.....12

1.3.3 शोर पर्यावरण 13

1.3.4 जल पर्यावरण 13

1.3.5 मिट्टि की गुणवत्ता.....13

1.3.6 अध्ययन क्षेत्र का भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन.....14

1.3.7 जैविक पर्यावरण.....15

1.3.8 सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण 15

1.4 प्रत्याशित पर्यावरण प्रभाव और पर्यावरण प्रबंधन योजना 16

1.5 पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम 20

1.6 जोखिम मूल्यांकन.....20

1.7 आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना 20

1.8 परियोजना लाभ 20

1.9 सामाजिक विकास के लिए बजट.....21

1.10 पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी).....21

तालिकाओं की सूची

तालिका 1.1 A: प्रस्तावित साधारण पत्थर खनन परियोजनाओं की पर्यावरण सेटिंग 5
तालिका 1.1 B: परियोजना प्रस्तावक और परियोजना निर्देशांक का विवरण 6
तालिका 1.1 C: परियोजना स्थान से संवेदनशील संरचना की दूरी का विवरण.....7
तालिका 1.1 D: परियोजना स्थान से संवेदनशील संरचना की दूरी का विवरण 8
तालिका 1.2 A: प्रस्तावित खनन परियोजना की मुख्य विशेषताएं.....9
तालिका 1.2 B: परियोजना की मुख्य विशेषता.....10
तालिका 1.3 A: वृक्षारोपण के लिए पानी की आवश्यकता 10
तालिका 1.3 B: धूल दमन के लिए पानी की आवश्यकता 10
तालिका 1.3 C: प्रत्येक खदान के लिए विस्तृत जल आवश्यकता 11
तालिका 1.4: खदान के जनशक्ति विवरण मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल (साधारण पत्थर खदान).....11
तालिका 1.5: अध्ययन क्षेत्र के मौसम संबंधी आंकड़े (नासा पावर).....12

आंकड़े की सूची

चित्र E-1: परियोजना स्थल का स्थान मानचित्र.....5
चित्र E-2: परियोजना स्थल का एलयूएलसी वर्गीकरण (10 किमी त्रिज्या प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र)।.....15
चित्र E-3: 10 किमी के भीतर के गाँव। परियोजना स्थल से त्रिज्या क्षेत्र.....16

कार्यकारी सारांश

1.0 परिचय

प्रस्तावित परियोजना एक साधारण पत्थर खनन परियोजना है (क्लस्टर में कुल पट्टा क्षेत्र, जिसमें 04 लागू खदानें शामिल हैं, खनिज साधारण पत्थर का 8.08 हेक्टेयर है) गांव – धामनघुटकुरी और मिलाराबाद, तहसील – बसना, जिला – महासमुद, राज्य – छत्तीसगढ। संपूर्ण पट्टे के विवरण पर आगे के अध्यायों में चर्चा की गई है। क्लस्टर के पट्टा धारकों द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पक्ष में जारी किए गए टीओआर क्रमशः इस प्रकार हैं –

टीओआर का विवरण		
क्र.सं.	**आवेदक का नाम**	**टीओआर पत्र क्रमांक.**
1.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 1.2 हेक्टेयर)	पत्र क्रमांक. – TO24B0108CG5933964N, दिनांक 28/09/2024
2.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 1.44 हेक्टेयर)	पत्र क्रमांक. – TO24B0108CG5933964N, दिनांक 28/09/2024
3.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 2.58 हेक्टेयर)	पत्र क्रमांक. – TO24B0108CG5974272N, दिनांक 11/09/2024
4.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 2.86 हेक्टेयर)	पत्र क्रमांक. – TO24B0108CG5243903N, दिनांक 11/09/2024

यह खनन परियोजना ईआईए अधिसूचना 2006 और इसके बाद के संशोधनों अनुसार श्रेणी बी1 (क्लस्टर स्थिति) परियोजना या गतिविधि 1 (ए) के अंतर्गत आती है, जिसका मूल्यांकन एसईएसी, छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। 15 जनवरी 2016 को एमओईएफएंडसीसी की ईआईए अधिसूचना और 13 सितंबर 2018 के एनजीटी आदेश के अनुसार लीज क्लस्टर में आती है।

1.1.1 परियोजना स्थल

मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (साधारण पत्थर) खदान की प्रस्तावित परियोजना जिसका क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर, 1. 44 हेक्टेयर, 2.58 हेक्टेयर और 2.86 हेक्टेयर है। ग्राम–धामनघुटकुरी और मिलाराबाद, तहसील–बसना, जिला – महासमुंद, राज्य –छत्तीसगढ में खसरा नंबर 343 (भाग), 343 (भाग), 389 (भाग), 389 (भाग) में स्थित है, भागीदार– शुभम अग्रवाल क्रमशः खदान पट्टा क्षेत्र के पट्टा धारक के रूप में मेरा सर्वेक्षण भारतीय टोपोशीट संख्या 64K/11, K/15 में प्रदर्शित हुआ।

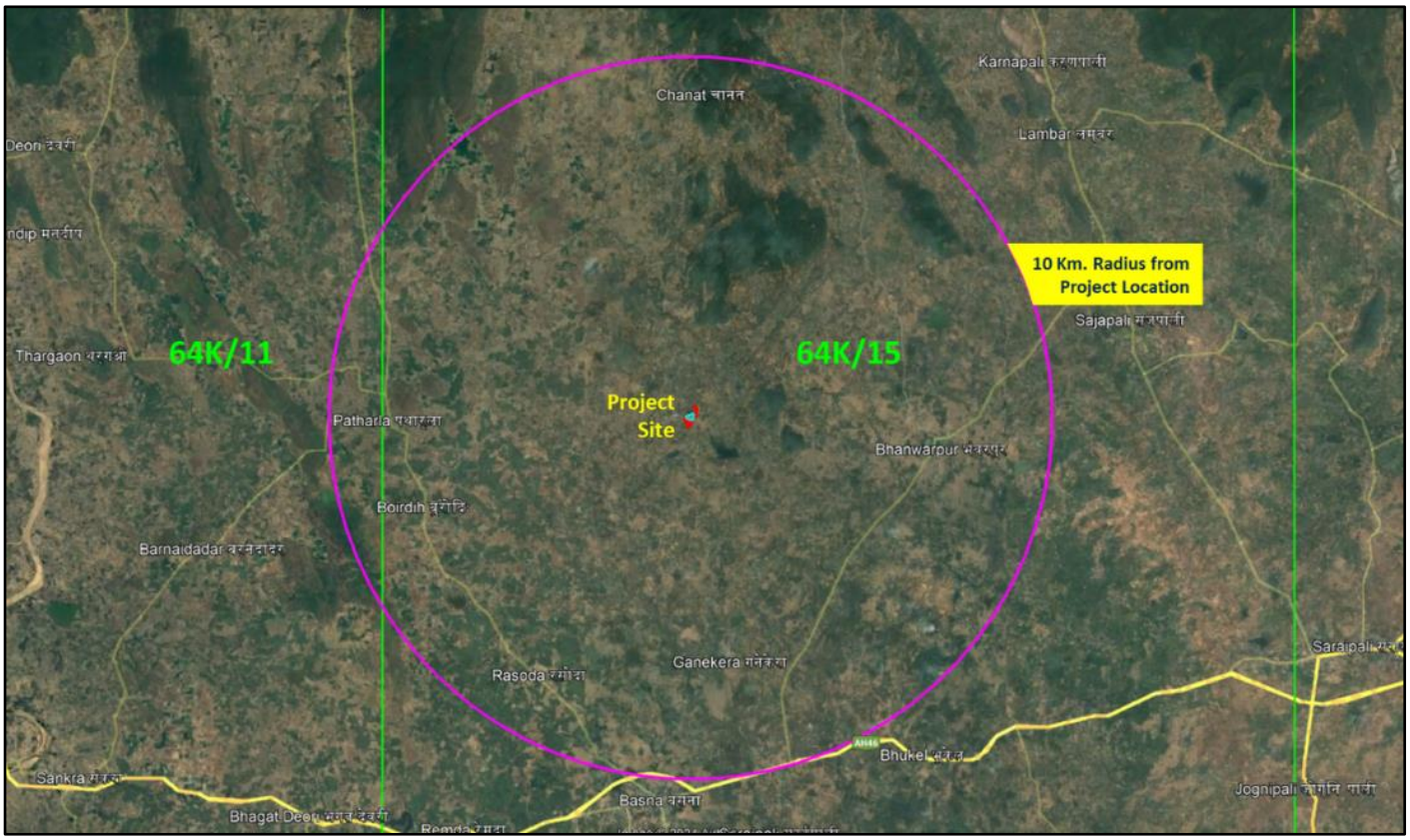

चित्र E–1 प्रस्तावित परियोजना स्थल का स्थान मानचित्र

तालिका 1.1A प्रस्तावित पर्यावरणीय सेटिंग मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल (साधारण पत्थर खदान)

क्र.	आवेदक का नाम	रकबा (हे.)	आवेदक का पता	लीज क्षेत्र	खसरा विवरण	टोपोशीट नं.	भूमि का प्रकार
1.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	1.20	सिटी -X-154,ए-3, स्वर्णभूमि, विधानसभा रोड, तहसील एवं जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन कोड - 492001	धामनघुटकुरी	343 (भाग)	64 K/11 64K/15	Govt. Land
2.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	1.44		धामनघुटकुरी	343 (भाग		Govt. Land
3.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	2.58		मिलाराबाद	389 (भाग)		Govt. Land
4.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	2.86		मिलाराबाद	389 (भाग)		Govt. Land

तालिका 1.1 B परियोजना प्रस्तावक और परियोजना निर्देशांक का विवरण मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल (साधारण पत्थर खदान)

क.	सीमा बिंदु	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 1.2 हेक्टेयर)	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 1.44 हेक्टेयर)	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 2.85 हेक्टेयर)	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 2.86 हेक्टेयर)
1	**BL 1**	21°22'44.98"N/ 82°50'11.02"E	21°22'45.91"N / 82°50'6.82"E	21°22'36.12"N / 82°49'58.02"E	21°22'40.19"N / 82°50'6.40"E
2	**BL 2**	21°22'43.77"N/ 82°50'12.86"E	21°22'47.60"N / 82°50'7.59"E	21°22'33.14"N / 82°50'5.52"E	21°22'38.58"N / 82°50'7.84"E
3	**BL 3**	21°22'41.15"N/ 82°50'13.57"E	21°22'45.41"N 82°50'10.29"E	21°22'30.91"N / 82°50'4.17"E	21°22'37.00"N / 82°50'6.26"E
4	**BL 4**	21°22'37.81"N/ 82°50'11.91"E	21°22'40.76"N / 82°50'10.17"E	21°22'28.26"N / 82°50'3.24"E	21°22'33.66"N / 82°50'5.59"E
5	**BL 5**	21°22'37.88"N/ 82°50'11.37"E	21°22'38.62"N / 82°50'9.71"E	21°22'28.51"N / 82°50'0.84"E	21°22'36.27"N / 82°49'58.65"E
6	**BL 6**	21°22'37.19"N/ 82°50'10.87"E	21°22'37.55"N / 82°50'10.39"E	21°22'30.18"N / 82°49'59.96"E	21°22'37.92"N / 82°49'59.82"E
7	**BL 7**	21°22'40.24"N/ 82°50'10.54"E	21°22'37.01"N / 82°50'9.68"E	21°22'33.46"N / 82°50'0.21"E	-
8	**BL 8**	-	21°22'39.50"N / 82°50'7.41"E	21°22'34.07"N / 82°49'58.10"E	-
9	**BL 9**	-	21°22'40.86"N/ 82°50'8.12"E	-	-
10	**BL10**	-	21°22'41.26"N/ 82°50'9.45"E	-	-
11	**BL11**	-	21°22'41.81"N/ 82°50'9.51"E	-	-
12	**BL12**	-	21°22'42.21"N/ 82°50'8.68"E	-	-
13	**BL13**	-	21°22'45.90"N/ 82°50'9.09"E	-	-

तालिका 1.1 C परियोजना स्थान से संवेदनशील संरचना की दूरी का विवरण

क.	आवेदक का नाम	निकटतम राजमार्ग	निकटतम रेलवे स्टेशन	निकटतम हवाई अड्डा	निकटतम शहर/नगर/निकटतम घनी आबादी वाला या निर्मित क्षेत्र	निकटतम जल निकाय	10 किमी के दायरे में प्रमुख जल निकाय
1.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 1.2 हेक्टेयर)	NH 53 दक्षिण की ओर 10.20 किमी पर (रायपुर–आरंग–सरायपाली रोड)	कोमाखान स्टेशन दक्षिण–पश्चिम की ओर 58.95 कि.मी. पर है।	रायपुर 101.00 कि.मी	बसना से दक्षिण की ओर 10.60 कि.मी	340 मीटर पर दक्षिण की ओर तालाब	1.30 किमी पर (पश्चिम की ओर नाला)
2.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 1.44 हेक्टेयर)	NH 53 दक्षिण की ओर 10.25 किमी पर (रायपुर–आरंग–सरायपाली रोड)	बागबाहरा स्टेशन दक्षिण–पश्चिम की ओर 59.50 कि.मी. पर है।	रायपुर 115.00 कि.मी	बसना से दक्षिण की ओर 10.60 कि.मी	550 मीटर पर तालाब दक्षिण–पश्चिम की ओर	1.30 किमी पर (पश्चिम की ओर नाला)
3.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 2.58 हेक्टेयर)	NH 53 दक्षिण की ओर 9.80 किमी पर (रायपुर–आरंग–सरायपाली रोड)	बागबाहरा स्टेशन दक्षिण–पश्चिम की ओर 59.15 कि.मी. पर है।	रायपुर 100.00 कि.मी	बसना से दक्षिण की ओर 10.50 कि.मी	दक्षिण की ओर 720 मीटर पर तालाब	1.10 किमी पर (पश्चिम की ओर तालाब)
4.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 2.86 हेक्टेयर)	NH 53 दक्षिण की ओर 10.00 किमी पर (रायपुर–आरंग–सरायपाली रोड)	बागबाहरा स्टेशन दक्षिण–पश्चिम की ओर 59.15 कि.मी. पर है।	रायपुर 101.00 कि.मी	बसना से दक्षिण की ओर 10.30 कि.मी	290 मीटर पर (तालाब दक्षिण–पूर्व की ओर)।	1.00 किमी पर (दक्षिण–पूर्व की ओर नाला)

तालिका 1.1 D परियोजना स्थान से संवेदनशील संरचना की दूरी का विवरण

विशेष	विवरण
सिस्मीसिटी	चूंकि परियोजना स्थल भूकंपीय क्षेत्र II के अंतर्गत आता है, जो आईएस 1893 (भाग 1 : 2002) के अनुसार भूकंप के लिए सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है।
आरक्षित/संरक्षित वन	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
वन्यजीव अभ्यारण्य	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
राष्ट्रीय उद्यान	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार संरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, बायोस्फीयर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व)	1. रूपापाली पी.एफ – 1.70 किमी 2. तारेकेला पी.एफ. – 2.00 किमी 3. पुरूषोत्तमपुर पी.एफ. – 2.20 किमी 4. पदाकिपाली पी.एफ. – 2.50 किमी 5. कारीडोंगर पी.एफ. – 3.00 6. जादामुडा पी.एफ. – 6.80 किमी 7. बागमल पी.एफ. – 8.00 किमी 8. जमनीडीह पी.एफ. – 8.30 किमी 9. जमद्रहा पी.एफ. – 9.50 किमी 10. रायपानी आर.एफ. दृ 6.00 किमी
पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
रक्षा प्रतिष्ठान	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
बायोस्फीयर रिजर्व	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
पक्षियों के महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
रामसर स्थल (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ)।	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
अनोखा या संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
महत्वपूर्ण स्थलाकृतिक विशेषताएं, जिनमें पर्वतमालाएं, नदी घाटियां, तटरेखाएं और तटवर्ती क्षेत्र शामिल हैं	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
कच्छ वनस्पति	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
भौतिक संवेदनशील रिसेप्टर्स	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
सीजीडब्ल्यूए द्वारा अधिसूचित भूजल क्षेत्र	10 किमी के दायरे में कोई नहीं

गंभीर रूप से पर्यावरण प्रदूषित क्षेत्र	10 किमी के दायरे में कोई नहीं
प्रदूषण स्रोत	10 किमी के दायरे में कोई नहीं

1.2 परियोजना विवरण

कुल क्षेत्रफल 8.08 हेक्टेयर की मेसर्स रूही स्टोन क्रशर खदान की प्रस्तावित परियोजना ग्राम – धामनघुटकुरी और मिलाराबाद, तहसील – बसना, जिलारू महासमुंद, राज्यरू छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रस्तावित खदान ब्लॉक का जीवनकाल 30 वर्ष है। खनन की प्रस्तावित विधि ओपन कास्ट अर्ध यंत्रीकृत खनन है।

तालिका 1.2 A प्रस्तावित खनन परियोजना की मुख्य विशेषताएं

क.	आवेदक का नाम	संचालन की स्थिति (नई परियोजना या मौजूदा परियोजना)	खनन किये जाने वाले खनिज का नाम	भूमि का प्रकार	खनन की विधि	कार्य दिवसों की संख्या
1.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	मौजूदा परियोजना	साधारण पत्थर	Govt.	ओपन–कास्ट अर्ध यंत्रीकृत विधि	240
2.		मौजूदा परियोजना	साधारण पत्थर	Govt.	ओपन–कास्ट अर्ध यंत्रीकृत विधि	240
3.		मौजूदा परियोजना	साधारण पत्थर	Govt.	ओपन–कास्ट अर्ध यंत्रीकृत विधि	240
4.		मौजूदा परियोजना	साधारण पत्थर	Govt.	ओपन–कास्ट अर्ध यंत्रीकृत विधि	240

तालिका 1.2 B परियोजना की मुख्य विशेषता

क.	आवेदक का नाम	रकबा (हे.)	खनन की अंतिम गहराई	भूजल तालिका	खनन योग्य भण्डारण (टन)	वार्षिक उत्पादन क्षमता(टन)	शेष लीज अवधि
1.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	1.20	18 मी.	40 मी.	1,93,733.80	37,744.00	7
2.		1.44	15 मी.	40 मी.	84,435.00	16,517.00	7
3.		2.58	48 मी.	50 मी.	9,17,476.30	70,883.00	9
4.		2.86	42 मी.	50 मी.	13,50,782.5	75,636.00	10

1.2.1 पानी की आवश्यकता

मेसर्स रूही स्टोन क्रशर, पार्टनर शुभम अग्रवाल के लिए कुल पानी की आवश्यकता 25.00 KLD होगी। क्रमशः घरेलू, ग्रीन बेल्ट और छिड़काव उद्देश्य के लिए, जो पास के गांव से पानी के टैंकरों से प्राप्त किया जाएगा। पानी की आवश्यकता का विवरण नीचे दिया गया है–

तालिका 1.3 A वृक्षारोपण के लिए पानी की आवश्यकता

क.	आवेदक का नाम	रकबा (हे.)	पौधों की संख्या	प्रति पौधे प्रतिदिन पानी की आवश्यकता	वृक्षारोपण पर छिड़काव के लिए कुल पानी की आवश्यकता (केएलडी)
1.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	1.20	762	2.5	2.00
2.		1.44	1257	2.5	3.00
3.		2.58	1092	2.5	3.00
4.		2.86	1038	2.5	3.00

तालिका 1.3 B धूल दमन के लिए पानी की आवश्यकता

क.	आवेदक का नाम	रकबा (हे.)	रेम्प एवं हॉल रोड की लंबाई	सड़क/रेम्प की चौड़ाई	प्रति वर्ग मीटर आवश्यकता	प्रति दिन राउंड की संख्या	धूल दमन के लिए कुल पानी की आवश्यकता
1.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	1.20	500	4	0.5	2	2.00
2.		1.44	500	4	0.5	2	2.00
3.		2.58	750	4	0.5	2	3.00
4.		2.86	750	4	0.5	2	3.00

तालिका 1.3 C प्रत्येक खदान के लिए विस्तृत जल आवश्यकता

क.	आवेदक का नाम	रकबा (हे.)	ग्रीनबेल्ट विकास के लिए	धूल दबाने के लिए	धूल दबाने के लिए	केएलडी में कुल
1.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल	1.20	2.00	2.00	1.00	5.00
2.		1.44	3.00	2.00	1.00	6.00
3.		2.58	3.00	3.00	1.00	7.00
4.		2.86	3.00	3.00	1.00	7.00
	Total:	**8.08**	**11.00**	**10.00**	**4.00**	**25.00**

1.2.2 पावर आवश्यकता

खनन प्रयोजन के लिए किसी बिजली की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रमिक, प्रशासनिक भवन और क्रशर प्लांट के लिए राज्य बिजली बोर्ड बिजली की आपूर्ति करेगा। लीज एरिया में बिजली उपलब्ध है।

1.2.3 जनशक्ति की आवश्यकता

खनन परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, और कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित होंगे और परिवहन, रखरखाव इत्यादि जैसे संबद्ध और संबंधित उद्योगों में कार्यरत होंगे। निम्नलिखित कर्मचारियों और श्रमिकों को नियोजित करने का प्रस्ताव हैः–

तालिका 1.4: खदान के जनशक्ति विवरण मेसर्स रूही स्टोन क्रशर पार्टनर शुभम अग्रवाल (साधारण पत्थर खदान)

क.	रोजगार	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 1.2 हेक्टेयर)	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 1.44 हेक्टेयर)	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 2.58 हेक्टेयर)	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 2.86 हेक्टेयर)
1	खनन प्रबंधक	1	1	1	1
2	खनन मेट	1	1	1	1
3	कुशल श्रम	4	2	6	7
4	मशीन प्रचालक	6	3	7	8
कुल		**12**	**7**	**15**	**17**

1.3 पर्यावरण का विवरण

प्रस्तावित खनन स्थल के आसपास के क्षेत्र का भौतिक विशेषताओं और मौजूदा पर्यावरणीय परिदृश्य के लिए सर्वेक्षण किया गया है। फील्ड सर्वे और बेसलाइन मॉनिटरिंग 1 मार्च 2024 से 31 मई 2024 (ग्रीष्म

ऋतु) की अवधि के बीच की गई है। ग्रीष्म ऋतु – (मार्च 2024 – मई 2024) के लिए टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है–

1.3.1 अंतरिक्ष–विज्ञान

अध्ययन अवधि का द्वितीयक मौसम संबंधी डेटा से एकत्र किया गया। www. imdpune.gov.in/. माहवार मौसम संबंधी आंकड़े तालिका 3.4बी में दिए गए हैं। अध्ययन अवधि के दौरान हवा बढ़ गई।

तालिका 1.5: अध्ययन क्षेत्र के मौसम संबंधी आंकड़े (नासा पावर)

	हवा की गति (एमएस)			तपमान (डिग्री सेल्सियस)			सापेक्षिक आर्द्रता (%)			वर्षा (मिमी)			सौर विकिरण (W/m^2)		
अवधि	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg
Mar 24	7.59	0.21	2.53	39.8	14.61	26.56	95.25	14.81	44.4	6.3	0	0.04	948.98	0	241.8
Apr 24	7.42	0.09	2.95	43.8	21.08	32.8	70.5	11.31	30.97	1.22	0	0.01	891.06	0	211.4
May 24	7.81	0.23	3.13	47.33	23.85	35.7	77.25	6.69	28.52	1.22	0	0.01	0	0	0

1.3.2 वायु पर्यावरण

परियोजना स्थल और उसके आसपास के 8 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की जांच की जाती है और सीपीसीबी मानकों के अनुसार अध्ययन किया जाता है। यह देखा गया है कि, सभी मान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS), 2009 के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर हैं।

पार्टिकुलेट मैटर (PM10):

AAQM-1 अधिकतम मान 68µg/m^3 देखा गया और AAQM-4,7,8 पर न्यूनतम मान 45µg/m3 देखा गया।

श्वसन योग्य कण पदार्थ ($PM_{2.5}$):

AAQM-8 न्यूनतम मान ($PM_{2.5}$): 16µg/m^3 देखा गया और AAQM-2 पर अधिकतम मान 30µg/m3 देखा गया।

सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2):

AAQM-1,2,3,6,7,8 को छोड़कर सभी स्टेशनों पर SO_2 की न्यूनतम सांद्रमा 5µg/m^3 देखी गई है और 1,6 और 8 पर अधिकतम मान 10µg/m3 देखा गया।

नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_X):

AAQM-6 पर NO_x की अधिकतम सांद्रमा 17µg/m^3 और AAQM -2,3,4 और 5 पर न्यूनतम सांद्रमा 8µg/m3 देखा गया।

कार्बन मोनोऑक्साइड (CO):

क्षेत्र में अधिकतम सांद्रता AAQM-1,2,3,6 और 7 सभी स्थानों पर 0.9µg/m^3 और AAQM -4,8 पर न्यूनतम सांद्रता 0.2µg/m^3 देखी गई।

प्रस्तावित खदान पट्टे के आसपास समग्र वायु गुणवत्ता NAAQ मानकों की सीमा के भीतर है।

सिलिका

परियोजना स्थल के अध्ययन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे की परिवेशी वायु में सिलिका का विश्लेषण परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के पीएम 10 फिल्टर पेपर से किया गया है। परिणाम इंगित करता है कि परियोजना स्थल के आसपास सिलिका सांद्रता 0.02μg/m^3 से 0.047μg/m^3 की सीमा में पाई गई।

परिणामों की तुलना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित मानकों से की जाती है। प्रस्तावित खदान पट्टे के आसपास समग्र परिवेशी वायु गुणवत्ता सीपीसीबी द्वारा निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की सीमा के भीतर है।

1.3.3 शोर पर्यावरण

अध्ययन क्षेत्र के भीतर परियोजना सहित आठ स्थानों पर शोर के स्तर की निगरानी की गई। दिन के समय शोर का स्तर 51.6 से 58.7 डीबी (ए) के बीच था और रात के समय शोर का स्तर 42.6 से 49.7 डीबी (ए) के बीच था। सभी मॉनिटर किए गए शोर का स्तर सीपीसीबी द्वारा निर्धारित निर्धारित मानकों के भीतर पाया गया है।

1.3.4 जल पर्यावरण

आधारभूत जल गुणवत्ता स्थापित करने के लिए, अध्ययन क्षेत्र में 4 भूजल और 5 सतही जल के नमूने एकत्र किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। सतही जल के नमूनों की गुणवत्ता की तुलना सतही जल विनिर्देश आईएस 2296:1982 से की गई और सतही जल की गुणवत्ता कक्षा डी (वन्यजीव और मत्स्य पालन का प्रसार) के अंतर्गत आती है। भूजल नमूनों की तुलना पेयजल विशिष्टता आईएस 10500:2012 मानकों से की गई।

1.3.5 मिट्टी की गुणवत्ता

परियोजना स्थल और उसके आसपास कुल 8 नमूने एकत्र किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। यह देखा गया है कि मिट्टी की गुणवत्ता का पीएच 7.1 (एस5) से 8.1 (एस4) के बीच है, जो दर्शाता है कि मिट्टी थोड़ी क्षारीय प्रकृति की है।

पैरामीटर	स्थानों की संख्या	विवरण
व्यापक वायु गुणवत्ता का विश्लेषण	विश्लेषण 8 स्थानो पर किया गया	PM_{10} :-45 to 68 μg/m^3 $PM_{2.5}$:-16 to 30 μg/ m^3 SO_2 :- 5 ug/m3 to 10 μg/ m^3 NOx:- 8 to 17 μg/ m^3 CO:-0.2 to 0.9 mg/ m^3
ध्वनि स्तर विश्लेषण	विश्लेषण 8 स्थानो पर किया गया	Noise Level During Day Time :– 51.6 to 58.7 dB (A) Noise Level During Night Time:– 42.6 to 49.7 dB (A)

जल की विश्लेषण	भूमिगत जल नमूने 4 स्थानो पर लिए गए	pH :- 7.2 to 7.5 TDS :- 402 to 561 mg/l Total Hardness :- 196 to 332 mg/l. SO_4 :- 54 to 70 mg/l Chloride :- 55 to 80 mg/l Zn & Fe:- Below detectable limit.
	5 स्थानो पर सतही जल का नमूना लिया गया ।	pH :- 7.1 to 7.5 ; TDS :- 205 to 585 mg/l; Dissolve oxygen: - 5.1 to 6.1 mg/l. Chloride :- 35 to 100 mg/l; Calcium :- 26 mg/l to 62 mg/l; Magnesium :- 13 mg/l to 36 mg/l; Total Hardness :- 116 to 302 mg/l ;
मृदा की विश्लेषण	नमूने 8 स्थानो से लिए गए	pH :- 7.2 to 8.1 Nitrogen:- 211to 249 kg/ha Phosphorus:– 52 to 83 kg/ha Potassium :–318 to 420 kg/ha Electric Conductivity:- 385 to 502 ms/cm

1.3.6 अध्ययन क्षेत्र का भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

धामनघुटकुरी और मिलाराबाद भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में महासमुंद जिले की बसना तहसील में स्थित गाँव हैं। चित्र 1.2 में भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट 64K/11, 64K/15 (SOI) द्वारा कवर किए गए गाँव के क्षेत्र को दर्शाया गया है। चित्र 1.2 10–किलोमीटर अनुसंधान क्षेत्र के भूमि उपयोग और भूमि कवर मानचित्रों का एक पाई आरेख दिखाता है। चित्र 1.2 में दिखाया गया LULC मानचित्र दर्शाता है कि विश्लेषण को नौ क्षेत्रीय वर्गों में विभाजित किया गया है जल निकाय, नहर, फसल भूमि, निपटान, वनस्पति, परती भूमि और खनन क्षेत्र

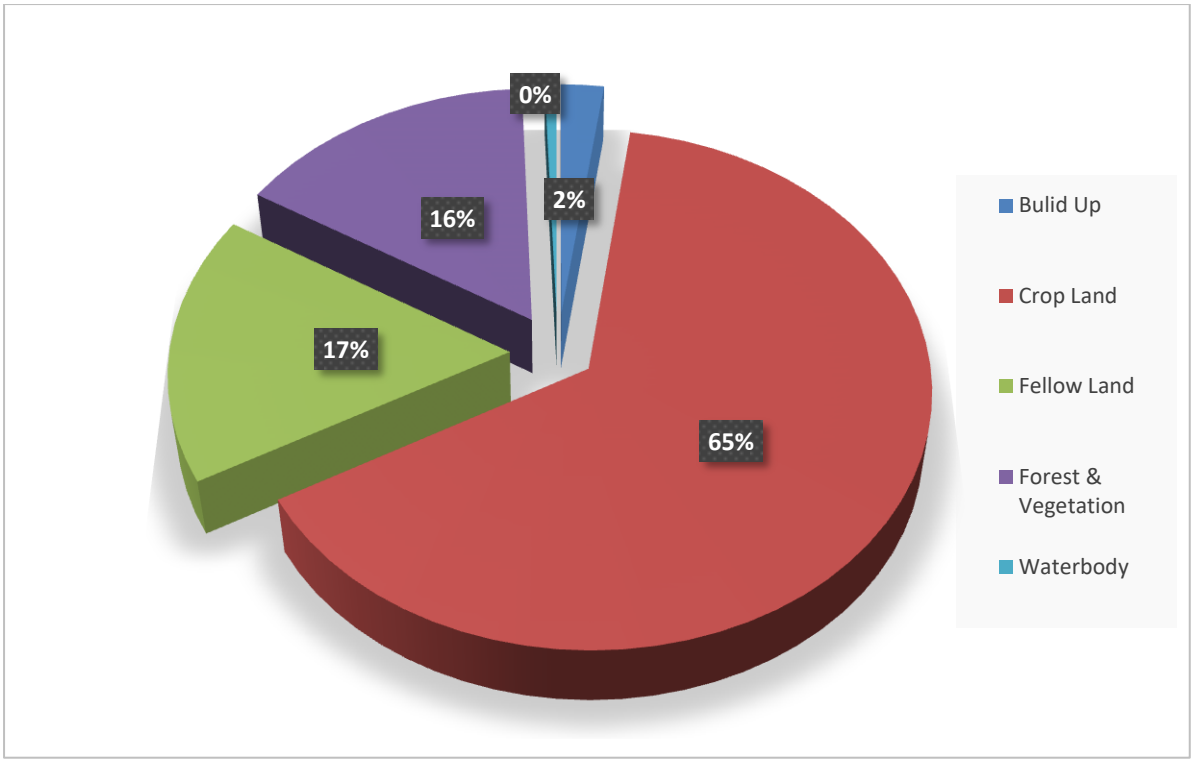

चित्र E-2 परियोजना स्थल का एलयूएलसी वर्गीकरण (10 किमी त्रिज्या प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र)।

1.3.7 जैविक पर्यावरण

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए जैविक पर्यावरण का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। पर्यावरणीय गुणवत्ता के संरक्षण और जैव विविधता अध्ययन की आवश्यकता को देखते हुए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए जैविक पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। पारिस्थितिक तंत्र निर्भरता, प्रतिस्पर्धा और पारस्परिकता सहित जैविक और अजैविक घटकों के बीच जटिल अंतर–संबंध दर्शाते हैं। जैविक घटकों में पौधे और पशु दोनों समुदाय शामिल होते हैं, जो न केवल उनके भीतर और बीच में बल्कि अजैविक घटकों के साथ भी परस्पर क्रिया करते हैं। पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक घटक। आम तौर पर, जैविक समुदाय जलवायु और शैक्षणिक कारकों के संकेतक होते हैं। जैविक पर्यावरण में मुख्य रूप से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। खनन गतिविधियां एक ऐसा बाहरी प्रभाव है, जो उचित प्रबंधन उपाय नहीं किए जाने पर किसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकती है।

1.3.8 सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण

सामाजिक–आर्थिक को पर्यावरण के एक घटक के रूप में मान्यता दी गई है। यह मुख्य रूप से उन सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है जो प्रस्तावित विकास के निर्माण और संचालन के परिणामस्वरूप होने की संभावना है। इसमें विभिन्न कारक शामिल हैं, जैसे। जनसांख्यिकीय संरचना, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं, व्यवसाय, जल आपूर्ति, स्वच्छता, संचार और बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, क्षेत्र में प्रचलित बीमारियाँ और साथ ही पर्यटकों के आकर्षण के

स्थान और पुरातात्विक महत्व के स्मारक जैसी विशेषताएं . इन मापदंडों का अध्ययन आसपास के क्षेत्र में परियोजना गतिविधि के कारण संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी और मूल्यांकन करने में मदद करता है। कोई भी विकासात्मक गतिविधि क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है।

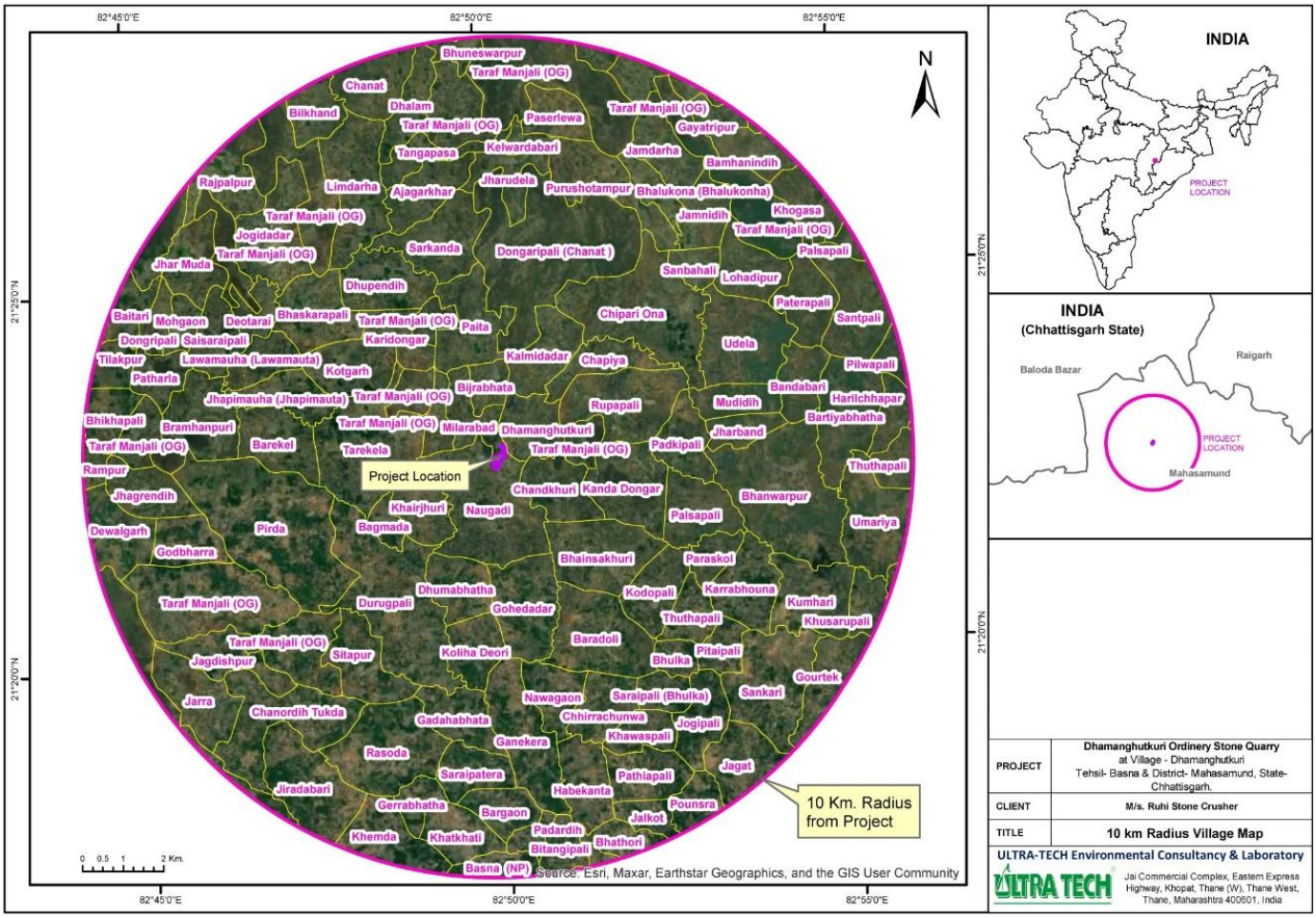

चित्र E-3 – 10 किलोमीटर के अंदर के गांव. परियोजना स्थल से त्रिज्या क्षेत्र.

1.4 प्रत्याशित पर्यावरण प्रभाव और पर्यावरण प्रबंधन योजना

भूमि/मिट्टी पर्यावरण प्रभाव शमन

भूमि पर्यावरण के शमन उपाय में शामिल हैं:

- खनन गतिविधि से पहले ऊपरी मिट्टी को हटा दिया जाएगा और पट्टा क्षेत्र में संग्रहीत किया जाएगा और वृक्षारोपण उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि शेष ऊपरी मिट्टी को अलग से संरक्षित किया गया है तो उसका उपयोग आंशिक रूप से पुनः प्राप्त भूमि पर फैलाने के लिए किया जाएगा।

- लीज क्षेत्र से उत्खनित साधरण पत्थर पूरी तरह से बिक्री योग्य होगा जिसके परिणामस्वरूप लीज क्षेत्र के भीतर कोई डंप नहीं होगा।

- वैचारिक अवधि के अंत में खुदाई की गई खदान सिंचाई और मछलीपालन जैसे स्थानीय उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए जल भंडार में परिवर्तित हो जाएगी।

- मैन्युअल खनन कार्य के कारण साधरण पत्थर की खदानों से उत्सर्जन बहुत कम है, जिससे क्षेत्र की आसपास की मिट्टी की गुणवत्ता और फसल पैटर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- प्रस्तावित परियोजना भूकंपीय क्षेत्र – II (कम खतरा जोखिम क्षेत्र) के अंतर्गत आती है। चूंकि इस परियोजना में भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं होगा, इसलिए इस परियोजना में भूकंपीयता के किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अलावा, यह परियोजना क्षेत्र के भूकंपीय व्यवहार को नहीं बदलेगी/परिवर्तित करेगी।

वायु प्रभाव शमन

वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए खदान में किए गए शमन उपाय हैं:

- भारतीय उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाहनों और मशीनरी की जांच करना। सीपीसीबी द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर एनओएक्स और एसओएक्स के उत्सर्जन को बनाए रखने के लिए वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए परिवहन वाहनों और मशीनरी का उचित और समय पर रखरखाव और नियमित रूप से सेवा की जानी चाहिए।

- धूल दमन के उद्देश्य से दो खदानों के लिए कुल 4 केएलडी पानी की आवश्यकता है जिसके लिए 2 नं. 2000 लीटर क्षमता वाले पानी के टैंकर को किराए पर लिया जाएगा और क्लस्टर के भीतर प्रत्येक पट्टे की सड़कों, डंपिंग साइट, लोडिंग और अनलोडिंग साइट पर दिन में दो बार पानी छिड़कने के लिए उपयोग किया जाएगा और क्लस्टर प्रबंधन द्वारा इसकी नियमित निगरानी की जाएगी। परिवहन सड़क के किनारे, स्टॉक यार्ड (यदि कोई हो) आदि पर पानी का छिड़काव ट्रैक्टर पर लगे पानी के छिड़काव से किया जाएगा।

- ढीली सामग्री के संचय को साफ करने के लिए ढुलाई सड़कों का नियमित संघनन और ग्रेडिंग किया जाएगा

- सभी खदान श्रमिकों को डस्ट मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

- पेड़ कुशल जैविक फिल्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। चूंकि यह एक छोटा पट्टा है, इसलिए वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध क्षेत्र बहुत कम है। हालाँकि, पट्टा सीमा के भीतर धूल प्रदूषण को रोकने के लिए खनन क्षेत्र के लिए एक सुनियोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। क्लस्टर की सीमा और क्लस्टर को जोड़ने वाली सड़क के दोनों ओर निरंतर वृक्षारोपण का प्रस्ताव है।

- निकास उत्सर्जन से बचने के लिए खनिजों के परिवहन के लिए वैध पीयूसी वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा।

- स्थानीय प्रजातियों को लेकर ग्रीनबेल्ट विकास योजना तैयार की जाती है। परिधि पर ग्रीनबेल्ट धूल के स्तर को कम करेगा।

- ड्रिलिंग के लिए शार्प ड्रिल बिट्स का उपयोग किया जाएगा और धूल के उत्पादन को कम करने के लिए समय–समय पर रीग्राइंडिंग की जाएगी।

- स्टोन क्रशर प्लांट से होने वाले उत्सर्जन को मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित उपाय अपनाकर रोका जाएगा –

क्रशर प्लांट और उपकरणों के चारों ओर टिन की दीवारों का निर्माण।

परिसर के भीतर नियमित सफाई और जमीन को गीला करना।

क्रशर प्लांट और उपकरणों के बेहतर रखरखाव से ऐसे उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

क्रशर प्लांट पर धूल पैदा करने वाले स्थानों पर पानी का छिड़काव करें।

- इस ईआईए रिपोर्ट के अध्याय 6 में विस्तृत निगरानी योजना के अनुसार वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी, ऑपरेशन चरण के दौरान अपनाई जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु गुणवत्ता सीपीसीबी द्वारा निर्धारित वांछित सीमा के भीतर है।

शोर प्रभाव शमन

- रात के समय कोई भी ध्वनि प्रदूषणकारी कार्य नहीं किया जाएगा।

- श्रमिकों के लिए पीपीई का प्रावधान।

- वाहनों की नियमित रूप से सेवा की जानी चाहिए और उनका उचित रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि उनसे होने वाले किसी भी अवांछित शोर या कंपन से बचा जा सके।

- ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण और बगीचे के पेड़ शोर, यातायात संबंधी प्रदूषण और ताप द्वीप प्रभावों को कम करने में मदद करेंगे।

- ऑपरेशन चरण के दौरान शोर को कम करने के लिए उपकरणों का उचित स्नेहन, मफ़लिंग और आधुनिकीकरण किया जाएगा।

- नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक अपनाने से ब्लास्टिंग के कारण होने वाले कंपन और शोर को कम किया जाएगा।

- प्रतिकूल परिस्थितियों में ब्लास्टिंग से बचा जाएगा।

- सेकेंडरी ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जा रहा है/किया जाएगा।

• इस ईआईए रिपोर्ट के अध्याय 6 में विस्तृत निगरानी योजना के अनुसार शोर के स्तर की नियमित निगरानी, ऑपरेशन चरण के दौरान अपनाई जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, शोर का स्तर सीपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

जल प्रभाव शमन

- श्रमिकों के लिए अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था
- घरेलू अपशिष्ट जल को सेप्टिक टैंक में उपचारित किया जाएगा और इसके बाद प्रस्तावित क्लस्टर परियोजना के बाहर एक सुरक्षित दूरी पर सोक पिट बनाया जाएगा और किसी भी अपशिष्ट जल को जल निकाय में प्रवाहित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सभी स्टैकिंग और लोडिंग क्षेत्रों में उचित गारलैंड नालियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए
- ठोस पदार्थों को बहने से रोकने के लिए चेक डैम की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ताजा खोदे गए और डंप किए गए क्षेत्रों के आसपास माला नालियों का निर्माण ताकि ढीली सामग्री के साथ पानी के प्रवाह को रोका जा सके।
- पानी के साथ बहकर आने वाली किसी भी ढीली सामग्री को रोकने के लिए खदान के पानी को विशेष रूप से निर्मित कैच पिट से गुजारा जाना चाहिए।
- लीज होल्ड के भीतर ढीले मलबे वाले किसी भी क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना चाहिए।
- अपशिष्ट ढेरों के चारों ओर गारलैंड नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए और निपटान से पहले प्राकृतिक जल चौनलों में सीधे प्रवाह के मिश्रण से बचने के लिए सतही जल भंडार से जोड़ा जाना चाहिए।
- खनन गतिविधि के दौरान भूजल स्तर में कोई अंतर नहीं आएगा ।

जैविक प्रभाव शमन

- हरित पट्टी को कोर जोन सीमा के साथ विकसित किया जाएगा जो जैविक पर्यावरण के लिए प्रदूषण अवरोधक के रूप में कार्य करेगा।
- ड्रिलिंग और परिवहन दिन के समय किया जाएगा केवल जंगली जीवों के आंदोलन पर प्रभाव को कम करने के लिए।
- खनन क्षेत्र में आवारा पशुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए पूरे खान पट्टा क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगाने की सिफारिश की जाती है।

सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण प्रभाव शमन

प्रस्तावित परियोजना गतिविधि के कारण आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए एक प्रभावी शमन योजना तैयार करना आवश्यक है। सुझाव इस प्रकार हैं:

आरंभ करने से पहले और प्रारंभिक चरण के दौरानः

- स्थानीय समुदाय के साथ संचार संस्थागत होना चाहिए और नियमित आधार पर किया जाना चाहिए। मंच स्थानीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और पारस्परिक लाभ के कार्यक्रम तैयार करने के अवसर प्रदान कर सकता है।
- प्रस्तावित ड्रैगिंग योजना के बारे में सूचना प्रदर्शन पोस्टर, पुस्तिकाओं और ऑडियो–विजुअल के रूप में स्थानीय समुदाय को दी जानी चाहिए।

1.5 पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम

पोस्ट अवधि में पर्यावरणीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए स्थानों पर पर्यावरणीय निगरानी की जाएगी। अध्ययन के बाद निगरानी कार्यक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित पहलुओं पर उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।

- यह इस अध्ययन में प्रस्तुत पर्यावरणीय प्रभावों पर भविष्यवाणियों को सत्यापित करने में मदद करता है।
- यह किसी भी खतरनाक पर्यावरणीय स्थिति के विकास की चेतावनी को इंगित करने में मदद करता है, और इस प्रकार, पहले से ही उचित नियंत्रण उपायों को अपनाने के अवसर प्रदान करता है।

संचालन चरण के दौरान विस्तृत ईएमपी योजना ईआईए रिपोर्ट के अध्याय 6 में दी गई है।

1.6 जोखिम मूल्यांकन

प्रस्तावित साधारण पत्थर खनन परियोजना के संचालन चरण के दौरान खतरे और उसके जोखिम का आकलन निम्न, मध्यम और उच्च है। परियोजना समर्थकों को दोनों परियोजना स्थलों पर होने वाले अपेक्षित जोखिम के प्रभाव या परिणामों को रोकने के लिए सभी शमन उपायों को लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। पहचाने गए सभी खतरों में शमन उपायों को लागू करने के बाद प्रभाव का स्तर निम्न/मध्यम होगा।

1.7 आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना

तैयारी, शमन और घटना के बाद पुनर्वास कार्यों के प्रयासों के माध्यम से आपदा के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। प्रस्तावित परियोजना में खतरे की पहचान के आधार पर, एक आपातकालीन योजना तैयार की गई है और क्षति को कम करने के लिए जिला अधिकारियों के समन्वय के साथ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उसी योजना को लागू किया जाएगा। जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजना ईआईए रिपोर्ट के अध्याय 7 में विस्तृत है।

1.8 परियोजना लाभ

खनन देश के बुनियादी ढांचे के विकास की रीढ़ है। प्रस्तावित परियोजना के निम्नलिखित लाभ हैं:

- स्थानीय लोगों के लिए रोजगार
- उत्पाद शुल्क, जीएसटी, करों, लेवी आदि के रूप में राज्य सरकार के लिए राजस्व।
- लोगों के लिए व्यवसाय के अवसर पैदा करें
- गांवों में लोगों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित धन का उपयोग किया जाएगा।
- ईएमपी फंड से पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

- चूना पत्थर खनन के संचालन से आवश्यकता आधारित गतिविधि के लिए आवंटित अलग निधि के माध्यम से गांवों में लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।

1.9 सामाजिक विकास के लिए बजट

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 111.32 लाख है। गांव में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि के लिए 1,20,000/– लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे।

1.10 पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)

विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना खनन गतिविधियों और गतिविधियों द्वारा भूमिधमिट्टी, वायु, शोर, पानी पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर तैयार की गई है। ईएमपी और पर्यावरण संरक्षण उपायों की लागत ईआईए रिपोर्ट के अध्याय 10 में विस्तृत है।

पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के लिए प्रस्तावित व्ययः

क.	विवरण	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 1.20 हेक्टेयर)		मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 1.44 हेक्टेयर)		मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 2.58 हेक्टेयर)		मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (क्षेत्रफल– 2.86 हेक्टेयर)	
		पूंजीगत लागत	आवर्ती लागत	पूंजीगत लागत	आवर्ती लागत	पूंजीगत लागत	आवर्ती लागत	पूंजीगत लागत	आवर्ती लागत
1	वायु प्रदूषण नियंत्रण	-	1,44,000		1,44,000	-	1,44,000	-	1,44,000
2	हरित पट्टी विकास	2,64,700	1,94,750	3,95,300	2,36,875	3,27,700	2,22,800	3,06,255	2,18,250
3	सड़क का रखरखाव	-	40,000	-	40,000	-	40,000	-	40,000
4	खदान श्रमिकों के लिए सुविधाएं	50,000	54,000	50,000	31,500	50,000	67,500	50,000	76,500
	कुल ::	**3,14,700**	**4,32,750**	**4,45,300**	**4,52,375**	**3,77,700**	**4,74,300**	**3,56,255**	**4,78,750**
कुल पूंजी लागत रुपये में		**14,93,955**							
कुल आवर्ती लागत रुपये में		**18,38,175**							
ईएमपी की कुल लागत रुपये में		**33,32,130**							

1.11 निष्कर्ष

जैसा कि चर्चा की गई है, यह कहना सुरक्षित है कि प्रस्तावित पट्टा क्षेत्र से लघु खनिजों के संग्रहण से क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि खनिज और उत्पन्न अपशिष्ट गैर विषैले होते हैं और आसपास के वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पर्यावरण।

खनन कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले क्षणिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। स्थानीय आबादी की भागीदारी और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के कारण लंबे समय में आसपास के गांवों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्थानीय लोगों की भागीदारी से वैधानिक सीमा, पहुंच मार्गों, स्कूलों में हरित पट्टी का विकास प्रस्तावित है। क्षेत्र में इस प्रस्तावित वृक्षारोपण से इलाके की पारिस्थितिकी और पर्यावरण में सुधार के साथ–साथ सौंदर्य स्वरूप में भी सुधार होगा।